जिलाधिकारी कार्यालय, पटना।

(गोपनीय शाखा)

संयुक्तादेश

पटना जिला के शहरी एवं अन्य क्षेत्रों में यातायात आम जनता के लिए एक मुख्य समस्या है। वाहनों के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने, तीव्रता से वाहन चलाने, अनियंत्रित एवं अव्यवस्थित ढंग से वाहनों के पार्किंग, सड़कों में दुकानदार एवं वाहनों के पार्किंग से अतिक्रमण आदि कारणों से यातायात प्रभावित होती है। इसके साथ ही लाउडस्पीकर का प्रयोग एवं विवाह भवनों/होटलों के सामने पार्किंग के कारण भी यातायात बाधित होने की शिकायत आम जंनता एवं समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार प्राप्त होती है जिससे आम जन–जीवन प्रभावित तो होता ही है साथ ही मरीज ले जाने वाले एम्बुलेंस, परीक्षार्थियों की परीक्षा, ट्रेन छूट जाने की शिकायत एवं ट्रैफिक जाम रहने के कारण महिलाओं के साथ उत्पीड़न की भी शिकायत प्राप्त होती है।

यातायात से जुड़े उपरोक्त समस्याओं के लिए सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की जिम्मेवारी मुख्यतः पुलिस अधीक्षक, यातायात एवं उनके अधिनस्थ पदाधिकारी, कर्मी/जिला परिवहन पदाधिकारी एवं उनके अधिनस्थ पदाधिकारी, कर्मी/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं उनके अधिनस्थ पदाधिकारी, कर्मी/संबंधित थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी, कर्मी की है। किन्तु प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, परिणामस्वरूप उक्त समस्याएं यथावत है और आम जनता को कठिनाईओं का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त परिपेक्ष्य में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात संबंधी सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्रवाई हेतु संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न निदेश दिए जाते हैं :–

यातायात व्यवस्था के लिए अविलम्ब की जाने वाली कार्रवाई

1. **मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई** :– सभी प्रकार के वाहनों के सभी कागजातों की जाँच मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत सभी पदाधिकारियों यथा– जिला परिवहन पदाधिकारी एवं उनके

Contact No. 0612-2219097 (R) 0612-2219545 (O) 0612-2218900 (Fax)
E-mail- dm-patna.bih@nic.in/ dmpatna@gmail.com

अधीनस्थ पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, यातायात एवं उनके अधीनस्थ सभी पदाधिकारीगण/सभी थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए। सभी थानाध्यक्षों को शक्ति प्रदत्त होने के बावजूद उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वाहनों की जाँच नहीं की जा रही है। इस तरह जिला परिवहन पदाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा विभागीय लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से कुछ संख्या में बड़े वाहनों की जाँचकर लक्ष्य हासिल कर लिया जाता है। उनके द्वारा ऑटो/टेम्पु आदि वाहनों का जाँच नहीं किया जा रहा है। शहर में अधिक संख्या में ऑटो/टेम्पु बिना लाईसेंस के चलने की सूचना प्राप्त हो रही है। मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों को बार–बार उल्लंघन करने वाले वाहनों का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई (जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से) एवं रूट परमिट रद्द करने की कार्रवाई (आर0टी0ए0 के माध्यम से) प्रभावी ढ़ंग से किया जाना चाहिए।

अनुपालन–पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना / जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष

2. ऑटो/टेम्पु के अन्दर वाहन मालिक का नाम, वाहन संख्या एवं मालिक का Mobile संख्या एवं चालक का नाम अवश्य प्रदर्शित रहनी चाहिए ताकि वाहन संबंधी/चालक संबंधी शिकायत होने की स्थिति में यात्रियों के द्वारा Specific शिकायत की जा सके। इसे पेन्टिंग के माध्यम से ड्राईवर सीट के पीछे लेखन किया जाना चाहिए। इसका अनुपालन जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना सुनिश्चित करायेंगे। इसी तरह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (RTA) कार्यालय से भाड़ा सूची (Rate List) प्राप्त कर लेमिनेट कराकर यात्रियों को दिखने के लिए वाहनों में प्रदर्शित करना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अनुपालन–पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/ जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष

3. ऑटो/टेम्पु में अश्लील गाना बजाने की शिकायत प्रायः प्राप्त हो रही है। ऐसी शिकायतों पर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ऑटो/टेम्पु में यात्रियों के बैठने की स्थल के दाहिने तरफ रोक (Right side bar) लगाना अति आवश्यक है। इसके अभाव में दाहिने तरफ से यात्रियों को उतरने–चढ़ने से

Contact No. 0612-2219097 (R) 0612-2219545 (O) 0612-2218900 (Fax)
E-mail- dm-patna.bih@nic.in/ dmpatna@gmail.com

दुर्घटना होती है। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। इसके अनुपालन नहीं होने की स्थिति में सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई किया जाय।

अनुपालन–पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/ जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष

4. स्कूल बसों, स्कूल से संबंधित टेम्पु/ऑटो में क्षमता से अधिक छात्र/छात्राओं के परिवहन पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इस हेतु पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना अविलम्ब सभी निजी विद्यालयों/कॉलेज प्राचार्यों के साथ बैठक आयोजित करके स्पष्ट निदेश देंगे। प्राचार्यो से यह अपेक्षा की जाय कि वे अविलम्ब अभिभावकों के साथ बैठक (Parents Teacher Meeting) कर अभिभावकों को स्पष्ट निदेश देंगे कि वे अपने बच्चों को भेजे जाने वाले वाहनों में इसका अनुपालन किया जा रहा है ताकि प्रशासन की ओर से की जाने वाली कार्रवाई से उन्हें कोई परेशानी न हो।

अनुपालन–पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/ जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष

5. बिना हेल्मेट मोटर साईकिल चलाने पर जुर्माना, अत्यधिक तीव्रता से वाहन चलाने पर रोक, बीच सड़क पर बस/टेम्पु रोक कर यात्रियों के चढ़ाने–उतारने पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इन अनियिमतताओं को यातायात से जुडे पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा हल्के से लिया जा रहा है। इसे प्राथमिकता से लेकर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

अनुपालन–पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/ जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष

6. सड़कों के किनारे दूकानदारों द्वारा किए जाने वाले अस्थायी अतिक्रमण/सड़कों पर भवन निर्माण से संबंधित ईट–बालू आदि रखने पर रोक लगाने की आवश्यकता है। बार–बार सड़कों पर अतिक्रमण करने पर धारा–110 सी0आर0पी0सी0 के तहत Habitual Offender के रूप में उनके विरूद्ध कार्रवाई (संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से) करने की आवश्यकता है। पूर्व की भाँति नगर निगम, पुलिस प्रशासन के सहयोग से "हल्ला–गाड़ी" द्वारा

Contact No. 0612-2219097 (R) 0612-2219545 (O) 0612-2218900 (Fax)
E-mail- dm-patna.bih@nic.in/ dmpatna@gmail.com

शहर के विभिन्न भागों में अतिक्रमित कर रखे गये सामग्रियों को जप्त करने की कार्रवाई किया जाना है।

अनुपालन–प्रभारी दंडाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत एवं सभी संबंधित थानाध्यक्ष।

7. शहर के अतिमहत्वपूर्ण स्थलों पर अस्थायी दूकान/गुमटी लगाने की अनुमति नगर निगम द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी अनुमति देने के वक्त यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। शहर के मुख्य सड़कों में अवस्थित गोलम्बर एवं रोड डिवाईडर में किसी भी परिस्थिति में होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं दी जानी है। ऐसी अनियमितता करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस हेतु नगर निगम के पदाधिकारीगण निगम के नियमानुसार जुर्माना लगाने, प्राथमिकी दर्ज करने आदि की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन– प्रभारी दंडाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत एवं सभी संबंधित थानाध्यक्ष।

8. सभी बस/नगर बस, टेम्पु/ऑटो में रौशनी (bulbs/tubes) की पर्याप्त व्यवस्था होने से संबंधित जाँच किया जाना है ताकि रात्रि में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसी तरह सभी वाहनों में कालाशीशा (Black Film) का प्रयोग नहीं होने की स्थिति सुनिश्चित किया जाना है ताकि महिलाओं के साथ किसी तरह की दुष्कर्म की दुर्घटना वाहनों में घटित नहीं हो। इस हेतु सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। परिवहन विभाग के निदेशानुसार वाहन के निबंधन रद्द करने की दिशा में भी कार्रवाई किया जाना चाहिए।

अनुपालन–पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष

9. विवाह भवनों/होटलों सामुदायिक भवनों में लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि के 10 बजे के बाद भी किए जाने की शिकायत प्रायः प्राप्त होती है एवं उन स्थलों पर पार्किंग की व्यवस्था संचालकों के द्वारा नहीं किए जाने एवं कचरा की

Contact No. 0612-2219097 (R) 0612-2219545 (O) 0612-2218900 (Fax)
E-mail- dm-patna.bih@nic.in/ dmpatna@gmail.com

सफाई की तुरंत व्यवस्था नहीं किए जाने पर यातायात बाधित होने की शिकायत प्राप्त होती है। इन संचालकों को संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा विधिवत् नोटिस निर्गत कर समारोह के लिए पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करने एवं रात्रि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया जाना है। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में थानाध्यक्ष एवं नगर निगम के पदाधिकारीगण सुसंगत प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अनुपालन– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत एवं सभी संबंधित थानाध्यक्ष।

10. शादी के अवसर पर बाराती से जुड़े बैण्ड–बाजा वाहन में लाउडस्पीकर लगाकर High Decibal में ध्वनि प्रदूषण किया जाता है, जिसके कारण खासकर वृद्ध व्यक्तियों एवं रोगियों को गंभीर कठिनाईयों का सामना करने की शिकायत प्रायः प्राप्त हो रही है। इस अवसर पर बैण्ड–बाजा में लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10 बजे के पश्चात् नहीं किया जाना है। इससे संबंधित सभी निर्देश अपने क्षेत्राधीन सभी बैण्ड–बाजों के संचालकों को नोटिस देने की कार्रवाई अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। तदोपरान्त इस प्रावधान के उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध लाउडस्पीकर अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

अनुपालन– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष।

19/5

(मनु महाराज)
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना।

19/5/13

(डॉ0 एन0 सरवण कुमार)
जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 4824 /गो0, पटना, दिनांक- 19.5.13

प्रतिलिपि :– सभी थानाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/नगर पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/ सभी

Contact No. 0612-2219097 (R) 0612-2219545 (O) 0612-2218900 (Fax)
E-mail- dm-patna.bih@nic.in/ dmpatna@gmail.com

अनुमंडल पदाधिकारी, पटना/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर जिला दंडाधिकारी, विधि–व्यवस्था, पटना/प्रभारी दंडाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद्/सभी नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5

(मनु महाराज)
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना।

(डॉ0 एन0 सरवण कुमार)
जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 4824 /गो0, पटना, दिनांक 19-5-13

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/5

(मनु महाराज)
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना।

(डॉ0 एन0 सरवण कुमार)
जिला दण्डाधिकारी, पटना।

Contact No. 0612-2219097 (R) 0612-2219545 (O) 0612-2218900 (Fax)
E-mail- dm-patna.bih@nic.in/ dmpatna@gmail.com